बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

विषयः- **मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वर्तमान प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य परिवारों तथा मुजफ्फरपुर जिला के पाँच AES प्रभावित प्रखण्डों के सभी सुयोग्य परिवारों को आवास का लाभ दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।**

'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' अन्तर्गत 1 जनवरी 1996 से पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गुच्छ समूहों/ क्लस्टर में निर्मित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग कोटि के परिवारों के आवास जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं तथा पूर्व से आवास योजना का लाभ प्राप्त रहने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता नहीं रखते हैं, को आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

2. राज्य में कई ऐसे आवास विहीन परिवार हैं जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में नहीं है। वर्तमान में ऐसे 32 लाख 86 हजार परिवारों का नाम सूचीबद्ध किया गया है।

3. मुजफ्फरपुर जिला के Acute encephalitis syndrome (**AES**) से अत्यधिक प्रभावित पाँच प्रखण्डों यथा-बोचहाँ, काँटी, मीनापुर, मोतीपुर एवं मुशहरी में भी सभी सुयोग्य आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाना है।

4. उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न निर्णय लिये गये हैं:-

(क) राज्य के सभी आवास विहीन सुयोग्य परिवारों जिनका नाम अभी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में नहीं है, के लिए निधि उपलब्धता के अनुरूप मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु कार्रवाई की जायेगी।

(ख) मुजफ्फरपुर जिला के AES से अत्यधिक प्रभावित पाँच प्रखण्डों यथा-बोचहाँ, काँटी, मीनापुर, मोतीपुर एवं मुशहरी के प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए ऐसे सभी सुयोग्य परिवारों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी।

(ग) इन परिवारों को योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु सामान्य जिलों में 1.20 लाख (एक लाख बीस हजार) रूपये एवं IAP जिलों में 1.30 लाख (एक लाख तीस हजार) रूपये की सहायता राशि तीन किश्तों में आवास निर्माण की प्रगति के अनुसार दी जायेगी।

(घ) इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत उपलब्ध निधि से व्यय किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार आगामी वित्तीय वर्षों में निधि का उपबंध किया जायेगा।

(ङ) लाभुकों के चयन के संबंध में बजट उपबंध के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा।

"मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना" के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी

....

जिला- ....

विषय :- **"मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना" के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन ।**

आवेदक का नामः-..

पिता/पति का नाम :-..

ग्राम/टोला :-..., पंचायत :-..

कोटि :- ....उम्र :-......................... पेशा :- ....

मोबाईल नम्बर :- .... आधार नं0 :- ....

बैक खाता सं0 :-..................................... बैंक का नाम :-..

IFSC CODE :-.......................................

1. मुझे 01.01.1996 के पूर्व गुच्छ समूहों में आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्रदान की गई थी/मेरे आवास का निर्माण कराया गया था ।

2. गुच्छ समूह में निर्मित मेरा आवास वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और मैं इसमें आवासीत होने के लिए विवश हूँ क्योंकि पूर्व की योजना के अंतर्गत आवास का लाभ पाने के कारण मैं इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं अन्य किसी आवासीय योजना का लाभ पाने की पात्रता से वंचित हूँ ।

3. मैं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता/रखती हूँ।

4. मैं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त होने पर स्वीकृत्यादेश में निर्धारित शर्तों के अनुसार अपने आवास का निर्माण करूँगा/करूँगी ।

अनुरोध है कि मुझे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास निर्माण हेतु सहायता राशि उपलब्ध करने की कृपा की जाय।

अनु0:- 1. आधार कार्ड की छायाप्रति

2. बैंक खाता के पासबुक की छायाप्रति

विश्वासभाजन

(आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान)

आवेदक का नाम :-.......................................

पता :-...

....

....

कार्यालय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी .....

जिला -.....

स्वीकृत्यादेश

दिनांक-:- .....

स्वी0सं0.....

नाम:-

SL. No.

जॉब कार्ड सं0

ग्राम पंचायत- प्रखण्ड-

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण की स्वीकृति

1. 1 जनवरी 1996 से पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गुच्छ समूहों में निर्मित जीर्ण-शीर्ण आवास की सूची के आधार पर **मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना** के तहत आपको आवास निर्माण हेतु 1,20,000 (एक लाख बीस हजार) रूपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी जाती है।
2. आपके द्वारा निर्धारित स्थल पर आवास निर्माण हेतु देय सहायता राशि आवास निर्माण की निर्धारित स्तर तक निर्माण कार्य पूर्ण करने के आधार पर तीन किस्तों में विमुक्त की जाएगी।

किस्त	भुगतान का स्तर	सहायता राशि
प्रथम किस्त	स्वीकृति के साथ	40,000/-
द्वितीय किस्त	प्लिंथ स्तर के बाद	40,000/-
तृतीय किस्त	छत ढ़लाई के बाद	40,000/-

3. आवास का निर्माण नियमानुसार कम-से-कम 25 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में किया जाएगा, जिसमें आवासीय कमरा एवं स्वच्छ रसोईघर का निर्माण कराना अनिवार्य होगा ।
4. आवास का निर्माण भुकम्परोधी एवं आपदारोधी होना अनिवार्य है ।
5. आवास निर्माण के अतिरिक्त शौचालय का निर्माण भी अनिवार्य होगा । शौचालय निर्माण हेतु पूर्व में अगर राशि प्राप्त नहीं किया गया हो तो लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान / मनरेगा से 12000/- रूपये प्रोत्साहन राशि के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी ।
6. आवास निर्माण के क्रम में आपके जॉब कार्ड के विरूद्ध 90 मानव दिवस की अकुशल मजदूरी उपलब्ध करायी जाएगी ।
7. आपके द्वारा आवास निर्माण का कार्य प्रथम किस्त की सहायता राशि प्राप्ति के 12 माह के अन्दर पूर्ण किया जाएगा ।
8. सहायता राशि प्राप्त करने के 12 माह के अंदर आवास निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने पर प्राप्त की गई सहायता राशि की वसूली के साथ ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

(प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)

ज्ञापांक:- ..... / दिनांक:- .....

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, ...को सूचनार्थ प्रेषित ।

(प्रखण्ड विकास पदाधिकारी)

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना : वर्ष 2018–19 से संचालित इस योजनान्तर्गत लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु सामान्य जिलों में प्रति लाभुक 1.20 लाख रुपये एवं राज्य के 11 समेकित कार्य योजना (Integrated Action Plan) वाले जिलों यथा – अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मुंगेर, नवादा, पश्चिम चंपारण, रोहतास एवं सीतामढ़ी में प्रति लाभुक 1.30 लाख रुपये की सहायता राशि तीन किस्तों में उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत 17.01.2023 तक 30,876 लाभुकों का निबंधन, 17,808 लाभुकों को आवास की स्वीकृति, 12,824 लाभुकों को तृतीय किस्त की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है, इनमें से 12,953 लाभुकों द्वारा आवास निर्माण का कार्य पूर्ण किया गया है।

आदेश :- **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24/1/2020

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 452803 पटना, बिहार 24/01/2020
ग्रा0वि-5/मु0आ0यो0-102-65/2019

प्रतिलिपि - ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 500 प्रतियां उपलब्ध करा दी जाय ।

24/1/2020
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 452803 पटना, बिहार 24/01/2020
ग्रा0वि-5/मु0आ0यो0-102-65/2019

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/1/2020
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 452803 पटना, बिहार 24/01/2020
ग्रा0वि-5/मु0आ0यो0-102-65/2019

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/ राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/1/2020
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 452803 पटना, बिहार 24/01/2020
ग्रा0वि-5/मु0आ0यो0-102-65/2019

प्रतिलिपि - मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/1/2020
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 452803 पटना, बिहार 24/01/2020
ग्रा0वि-5/मु0आ0यो0-102-65/2019

प्रतिलिपि - श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

24/1/2020
सरकार के प्रधान सचिव